



# कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर - 342001

email- j.jodhpur@rajasthan.gov.in वेब-साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/2656355-7 Fax 021-2612086

क्रमांक/आवंटन/2015/1802-5/3187-32004

दिनांक :: 6 सितम्बर, 2016

## शुद्धि -पत्र

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 5 अगस्त, 2016 का कार्यवाही विवरण जरिये क्रमांक आवंटन/ 2015/ 1802-5/ 3149 दिनांक 26 अगस्त, 2016 द्वारा जारी किया गया है। उक्त कार्यवाही विवरण में "कट-पेस्ट-" व अन्य कारणों से लिये गये निर्णयों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है।

1- प्रस्ताव संख्या 17:- उक्त प्रस्ताव के निर्णयानुसार "बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया जाता है कि प्रार्थी को वर्तमान आरक्षित दर के आधार पर विवेक विहार योजना में भूखण्ड संख्या के-360 का जो भी मूल्य नियमानुसार बनता है, वह प्राप्त कर आवंटन-पत्र जारी किया जावे।" लिया गया था जिसमें प्रस्तावानुसार भूखण्ड संख्या के-360 के स्थान पर के-443 किया जाता है।

2- प्रस्ताव संख्या 18:- उक्त प्रस्ताव के निर्णयानुसार "बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया जाता है कि प्रार्थी को वर्तमान आरक्षित दर के आधार पर विवेक विहार योजना में भूखण्ड संख्या के-360 का जो भी मूल्य नियमानुसार बनता है, वह प्राप्त कर आवंटन-पत्र जारी किया जावे।" लिया गया था जिसमें प्रस्तावानुसार भूखण्ड संख्या के-360 के स्थान पर एच-555 किया जाता है।

3- प्रस्ताव संख्या 19:- उक्त प्रस्ताव के निर्णयानुसार "बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया जाता है कि प्रार्थी को वर्तमान आरक्षित दर के आधार पर विवेक विहार योजना में भूखण्ड संख्या के-360 का जो भी मूल्य नियमानुसार बनता है, वह प्राप्त कर आवंटन-पत्र जारी किया जावे।" लिया गया था जिसमें प्रस्तावानुसार भूखण्ड संख्या के-360 के स्थान पर जे-122 किया जाता है।

4- प्रस्ताव संख्या 24:- उक्त प्रस्ताव के निर्णयानुसार "बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में नियमानुसार ब्याज व शास्ति लेते हुए प्रकरण को नियमित करने का निर्णय लिया गया था", के स्थान पर प्रस्तावानुसार राज्य सरकार द्वारा सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर नियमानुसार ब्याज व शास्ति लेते हुए प्रकरण को नियमित करने का निर्णय लिया गया किया जाता है।

5- प्रस्ताव संख्या 30:- उक्त प्रस्ताव में निर्णय लिया गया कि, "बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि चूंकि उक्त भूखण्ड संख्या के-70 में बढ़ा हुआ क्षेत्रफल 139.34 वर्ग मीटर है एवं मौके की रिपोर्ट अनुसार उक्त बड़ी हुई भूमि के माप का स्वतंत्र भूखण्ड बनाया जाना संभव नहीं है। अतः आरक्षित दर के डेढ गुणा दर पर अतिरिक्त क्षेत्रफल का आवंटन किया जावे। चूंकि अतिरिक्त माप 100 वर्ग मीटर से अधिक है। अतः प्रकरण राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे" लिया गया था। जिसमें प्रस्तावानुसार "ऐसे आवेदकों को जो सफल श्रेणी में पात्रता रखते है तो नियमानुसार भूखण्ड का आवंटन बहाल रखा जावे" किया जाता है।

(यह शुद्धिपत्र पत्रावली क्रमांक F 46/ Allotment Main/ Meeting/ 1802- VI/2 कार्यकारी समिति की बैठक पत्रावली के पैरा संख्या 83/एन पर आयुक्त महोदय के अनुमोदन उपरान्त जारी किया जाता है)

(अरुण पुरोहित)  
सचिव

क्रमांक/आवंटन/2015/1802-5/ 3187-3204

दिनांक :: 6 सितम्बर, 2016

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
02. निजी सचिव (अध्यक्ष महोदय/आयुक्त महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
03. जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर
04. उपायुक्त-पूर्व/पश्चिम/मुख्यालय/यातायात, जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर/पु.लैस अधीक्षक-ग्रामीण, जोधपुर
05. आयुक्त (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) नगर निगम, जोधपुर
06. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
07. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
08. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
09. प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड/क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको-जोधपुर/बोरानाडा
10. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर/ प्रबन्धक (याता), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
11. उप निदेशक, पर्यटन, जोधपुर
12. निदेशक- अभियांत्रिकी/नियोजन/वित्त/विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13. उपायुक्त-पूर्व/पश्चिम/उत्तर/दक्षिण/उपसचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. अधीक्षण अभियन्ता-I/II, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर ✓
17. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर ✓
- 18.

(अरुण पुरोहित)  
सचिव